संलग्नक

भारत सरकार
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
(प्रवासी सेवा प्रभाग)

पीबीडी 2015 के सुझावों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

क्र. संख्या	पीबीडी 2014 में दिये गये सुझाव	की जाने वाली कार्रवाई
1.	भारतीय विश्वविद्यालयों को अपने भारतीय प्रवासी समुदाय के विद्यार्थियों का देश के साथ बंधन सुदृढ़ करने के लिए भारत को जानों और भारत का अध्ययन जैसे कार्यक्रम प्रारम्भ करने चाहिए ।	यह एक स्वागत योग्य सुझाव हैं और आगे की कार्रवाई के लिए इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष उठाया जा सकता हैं ।
2.	प्रवासी भारतीय समुदाय को भारतीय युवाओ तक पहुचने के लिए युवा स्वेच्छिक नेटवर्कस जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ जुडने का प्रयास करना चाहिए	इस सुझाव पर भी विचार किया जा सकता हैं और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र संगठन और युवक कार्य विभाग, भारत सरकार की राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ सहयोग से इसकी सुविधा प्रदान कर सकता हैं ।
3.	प्रवासी भारतीय को भारत मे गाँवों में विदयालयों को गोद लेने की अनुमति प्रदान करने वाली एक योजना लागू की जानी चाहिए ।	यह सुझाव, प्रस्ताव के लिए संबन्धित राज्य सरकारों के समक्ष उठाया जा सकता हैं। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के आईडीएफ़सी को इस कार्यक्रम के समन्वय का उत्तरदायित्व सौपा जा सकता हैं ।
4.	भारत में चिकित्सा पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार को प्रवासी भारतीयों में से संबन्धितों के साथ तालमेल करते हुए इसे सफल बनाने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए ।	इस संबंध में और कदम उठाने के लिए यह प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष उठाया जा सकता हैं ।
5.	आइरिश और चीनी प्रवासियों की तरह जो अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में वृद्धि और नवाचार के मुख्य अंशदानकर्ता बन गए हैं, भारतीय प्रवासी समुदाय भी नवाचार में अग्रणी की भूमिका निभाकर भारत और इसके लोगों के विकास में सहायता कर सकते हैं ।	वर्तमान में, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय भारतीय प्रवासियों को अपनी वार्षिक संबंधता बैठकों जैसे पीबीडी, क्षेत्रीय पीबीडी तथा आईडीएफ़ एवं ओआईएफ़सी जैसे विभिन्न संबंधता कार्यक्रमों के माध्यम से संबंध कर रहा हैं । चुकीं, भारतीय प्रवासी समुदाय की स्थिति भी चीनी प्रवासी समुदाय की तरह ही हैं, इसलिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस बात का अध्ययन करने के लिए ओआईएफ़सी अध्ययन प्रारम्भ करवाया गया हैं कि चीनी प्रवासी समुदाय अपनी मातृभूमि से कैसे जुड़ा हुआ हैं, जो भारत को अपने प्रवासियों के साथ भविष्य मे संबंधता के लिए इनपुट प्रदान करेगा। ओआईएफ़सी अध्ययन की सिफ़ारिशों के बाद इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

6.	पीबीडी को गैर ढॉचागत तरीके से अनौपचारिक संपर्क विकसित करना चाहिए ताकि दुनियाभर के युवाओं को निर्बाध तौर पर एक दूसरे के साथ जुडने का अवसर प्रदार किया जा सके	इस सुझाव को भविष्य में प्रवासी दिवस आयोजित करने के लिए कर लिया गया है। युवा प्रवासियों को अर्थपूर्ण ढंग से संबंध करने के लिए प्रत्येक पीबीडी में विशेष/आधा दिन का । सत्र आयोजित करने पर विचार किया जा सकता है।
7.	एनआरआई/सीआई की तुलना में पीआईओ के साथ भेदभाव का उपयुक्त समाधान किया जाना चाहिए।	एनआरआई/सीआई की तुलना में पीआईओ के साथ भेदभाव किए जाने का मुद्दा स्वीकार्य नही है जबकि पीआईओ और ओसीआई वर्तमान में अन्य देशों के नागरिक हैं। इसलिए, विदेशी नागरिकता के कारण सुरक्षा और विधिक मुद्दों की वजह से एनआरआई के अधिकार पीआईओ और ओसीआई को प्रदान नही किए जा सकते। हालांकि, पंजीकरण की आवश्यकताओं पीआईओ एवं ओसीआई के बीच समानता पर विचार किया जा सकता है यदि पीआईओ भारत में 180 दिन से अधिक समय तक रूकता है जबकि ओसीआई कार्ड धारक को स्थानीय पुलिस प्राधिकरण के पास पंजीकरण से छूट प्रदान की हुई है, चाहे वह कितने भी समय तक भारत में रहे। इसके अतिरिक्त ओसीआई कार्डधारकों (एफ/सी) द्वारा जीवन पर्यन्त बिना वीजा की पात्रता की तुलना में पीआईओ कार्ड जारी किए जाने के 15 वर्ष बाद बीमा आवश्यकता एक चिंता का विषय है। इसलिए, इन मुद्दों को गृह मंत्रालय के पास भेजा जाना चाहिए जो पीआईओ और ओआईसी कार्ड योजनाओं के संबंध में प्राधिकरण है।
8.	दूरदर्शन इंटरनैशनल के संबंध में अन्य देशों में डाउन-लिंकिंग समस्याओं के मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।	इस तकनीकी मुद्दें का समाधान करने के लिए इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं दूरदर्शन, भारत सरकार के समक्ष उठाया जा सकता है।
9.	ओसीआई कार्डो पर स्थानीय पता मुद्रित करवाने का प्रावधान करना ताकि वे भारत में अधिक कारोबार अवसर प्राप्त कर सकें।	राजनैतिक अधिकरों (एफ/सी) के अतिरिक्त आर्थिक और वित्तिय मामलों में उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में ओसीआई और पीआईओ को एनआरआई के समान अधिकार प्राप्त हैं। अंत: इस अनुरोध पर इस समय और कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं हैं।
10.	एयर इंडिया विशेष तौर पर खाडी देशों में जाने वाली उडानों की टिकटों के मूल्य को युक्तिसंगत बनाए जाने का मुद्दा।	इस मुद्दे का समाधान काफी हद तक इंडिया और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा कर दिया गया है। भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए सीटों की संख्या बढाने की वर्तमान नीति के परिणामस्वरूप पीक सत्र के दौरान खाडी क्षेत्र में हवाई किरायों में कमी आई है।

11.	मलेशिया के मंत्री ने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों को मलेशिया में शाखा परिसर स्थापित करने और अधिक भारतीय बैंकों को वहां अपनी शाखाएं खोलने के लिए आंमत्रित किया गया।	चूंकि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का प्रबंधन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए यह मुद्दा आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय मलेशिया सरकार के साथ आर्थिक संबंधों को बढावा देने के लिए इस सुझाव की अपने स्तर पर संभाव्यता जांच के लिए वित्त मंत्रालय, विशेष तौर पर वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार को पत्र लिखेगा।
12.	अन्य देशों के विभिन्न लोग बेहतर कारोबारी संवाद के लिए अपने संबंधित देशों में कारोबार निकाय जैसे एफआईसीसीआई का एक चैपटर चाहते है।	चूंकि यह सुझाव औद्योगिक संगठनों जैसे एफआईसीसीआई से जुडा हुआ है, इसलिए यह उनके स्तर पर निर्णय लेने के लिए मैसर्स एफआईसीसीआई और सीआईआई के ध्यान में लाया जाएगा।
13.	पूंजी बाजार में एनआरआई की भागीदारी को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।	यह मामला, इस प्रस्ताव की संभाव्यता पर विचार करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग और वित्तिय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के पास भेजा जा सकता है।
14.	भारत सरकार को विदेशों से भारतीय फिल्मों को निर्बाध जारी करने और वहां उनके प्रदर्शन की सुविधा के संबंध में वार्तालाप करनी चाहिए।	इस मामले को स्वयं फिल्म निर्माताओं और प्रसारणकर्ताओं द्वारा जारी करने के विदेशी अधिकारों की बिक्री और भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से पहले ही देखा जा रहा है। हालांकि, इस मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग के पास भेजा जा सकता है।
15.	भारत को एक चेतावनी मंत्रालय का गठन करना चाहिए ताकि अर्हता प्राप्त बेरोजगार कार्य बल को नौकरियों की जानकारी मिल सकें।	यह एक नैमित्तिक सुझाव है। जोब पोर्टलस और नियोक्ताओं की वेबसाइट पर सूचना के पर्याप्त अवसर है। अतं: यह सुझाव गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
16.	विशेष तोर पर पंजाब के शरणार्थियों, आर्थिक शरणार्थियों के प्रश्न का समाधान किया जाना चाहिए।	यह मुद्दा मुख्यत: उत्तरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष तौर पर पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ इत्यादि से मानव व्यापार का परिणाम है क्योंकि इन क्षेत्रों के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा अवैध तौर पर जाते है और वहां शरणार्थी कैम्पों में रखे जाते हैं। इस मुद्दे को उत्तर अमेरिकी पंजाबी संघ (एनएपीए) ने उठाया है। अंत: प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को देश के उत्तरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन अवैध कार्यकलापों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रचार अभियान को और गहनता से चलाया जाना चाहिए।
17.	चूंकि राजदूत और विदेश सेवा के अधिकारी सॉफ्ट	चूंकि, विदेश मंत्रालय राजदूतों और विदेश सेवा के

	पावर को बढावा देने वाले होते हैं, इसलिए भारत सरकार को विदेशी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या को बढाना चाहिए।	अधिकारियों का नियत्रंक प्राधिकरण होता है, इसलिए इस सुझाव को आगे की कार्रवाई के लिए विदेश मंत्रालय के ध्यान में लाया जाएगा।
18.	पीएमजीएसी में युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।	इस सुझाव पर पीएफजीएसी के पुर्नगठन के दौरान सकारात्मक तौर पर विचार किया जा सकता है।
19.	भारतीय मिशनों के उन्नयन के लिए उपायों पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वे भी देश में सॉफ्ट पावर को बढाने में योगदान करते है।	इस मामले को आईसीसीआर और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष उठाया जा सकता है।
20.	भारत सरकार को रोजगार की भूमिकाओं के लिए दक्षताओं में कौशल विकास हेतु कदम उठाने चाहिए।	इस मुद्दे का भारत सरकार द्वारा सरकार के कौशल विकास मिशन द्वारा पहले ही समाधान कर दिया गया है।
21.	भारत सरकार को विभिन्न देशों में भारतीय समुदाय के लोगों के आंकडों/सांख्यिकी को अद्यातन करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा एचओएम/एचओपी के परामर्श से भारतीय समुदाय के लोगों के आंकडों/संख्यिकी को अद्यातन करने की मौजूदा प्रणाली सही कार्य कर रही है। अंत: इस सुझाव पर आगे कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
22.	अन्य डायसपोरा संगठनों के साथ कार्य करने और मुद्दों का समाधान करने के लिए सहयोग हेतु सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किया जाना।	वर्तमान में, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय विभिन्न संबंद्धता बैठकों जैसे पीबीडी,आरपीबीडी इत्यादि का आयोजन करने के लिए मुख्य डायसपोरा संगठनों के साथ सहयोग से कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, डायसपोरा संगठनां और मंत्रालय के बीच सहयोग बढाने के संबंध में अधिक इनपुट्स प्राप्त करने के लिए आगामी पीबीडी 2015में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।
23.	खाडी देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय के मुद्दों पर गहन ध्यान देना चाहिए।	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न सहमति-पत्रों, एसएसए और श्रम करारों के माध्यम से खाडी देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों के हितों का संरक्षण करने के लिए पहले ही आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, एनआरआई/पीआईओ से प्राप्त होने वाली आपातकालीन स्वरूप की सभी शिकायतों/मुद्दों पर मंत्रालय में पीजीई प्रभाग,एफएल प्रभाग और डीएस प्रभाग द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।
24.	पीआईओ के लिए टीवी चैनल	अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए एक दूरदर्शन चैनल है। इसकी प्रभावशीलता बढाने के लिए कार्यक्रमों हेतु डायसपोरा संबंधी अधिक मुद्दों/विषयों पर विचार किया जा सकता है। अंत: हम डायसपोरा संबंधी मुद्दों की कवरेज बढाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय और दूरदर्शन को पत्र लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए

		दूरदर्शन द्वारा विशेष कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जा सकता है।
25.	भारतीय डायसपोरा के लिए विशेष नेटवर्किंग	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटस पर अपने अकांउटस खोलेगा ताकि भारतीय डायसपोरा तक प्रभावी ढंग से पहुंचा जा सके।
26.	वीजा आन अराइवल	वीजा ऑन अराइवल सुविधा प्राय दूसरे देशों के नागरिकों को प्रतिक्रिया आधारपर प्रदान की जाती है। ओआईसी/पीआईओ कार्ड धारकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान की जाती है। अंत: इस सुझाव पर गृह मंत्रालय के साथ चर्चा नहीं की जा सकती।
27.	भारत सरकार को विश्व श्रम अथवा अनुबंधपत्रों संबंधी सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करना चाहिए।	आईसीएम अथवा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय आईएलओ, यूएन विभिन्न, यूरोपीयन यूनियन इत्यादि के साथ श्रम और स्थानांतरण मुद्दों पर पहले ही सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।

(के.सी.बेहेरा)

अवर सचिव, भारत सरकार

17.09.2014